न्यायालय – श्री आशीष कुमार शुक्ला, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट

**Registration No- BA/348/2020**
**Filing No. BA/3303/2020**
**C.N.R. N. MP50010037732020**

1– पूनमचंद कोचर वल्द स्व0 कन्हैयालाल कोचर
2– भव्य कोचर वल्द पूनमचंद कोचर
सभी निवासी वार्ड क्रमांक 20 बालाघाट, थाना कोतवाली बालाघाट
तहसील व जिला बालाघाट

.....आवेदकगण / अभियुक्तगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा,
आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट, जिला बालाघाट

.....अनावेदक / राज्य

**पुनश्च :– दिनांक 02–01–2021**

यह जमानत प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय से अंतरण पर सुनवाई हेतु आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट के अपराध क्रमांक 804 / 2020 की केस डायरी सहित थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट का प्रतिवेदन प्राप्त।
आवेदकगण पूनमचंद कोचर एवं भव्य कोचर की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 सोनी उपस्थित।
राज्य / अनावेदक द्वारा श्री एम0एम0 द्विवेदी, लोक अभियोजक, उपस्थित।
पीड़िता स्वतः उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 पर तर्क हेतु नियत है।

कोविड–19 वायरस संक्रमण सुरक्षार्थ माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र इस आशय का है कि आवेदकगण को स्थानीय अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि बालाघाट कोतवाली पुलिस के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध उनके ही पड़ोसी दीपक कुमार जैन की पुत्री सुरभि जैन की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 804 / 2020 अन्तर्गत धारा 354क, 354ग, 354घ, 341, 294, 506, 336 / 34 भा0द0सं0 का पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कोतवाली बालाघाट पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदकगण बालाघाट नगर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और उनके विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक

रिकार्ड भी दर्ज नहीं है। विगत दिनांक 09—12—2020 को आवेदकगण के पड़ोसी श्री दीपक कुमार जैन जो कि आवेदकगण के पड़ोस में विगत कई वर्षों से रतन स्पोर्ट्स नाम की दुकान संचालित करते हैं, की पुत्री एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा 100 डायल को आवेदकगण के द्वारा उनकी छत पर आतिशबाजी कर फटाखा फेक दिये जाने के संबंध में सूचना दी गयी थी, जो कि पुलिस द्वारा मौके पर जानकारी लेकर चले गये थे, किन्तु व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के चलते प्रार्थिया द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध झूंठी शिकायत की गयी है। पूर्व में प्रार्थिया के परिवारजन पर उनकी बहू की शिकायत पर धारा 498—ए भा0दं0सं0 तथा धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आवेदक क्रमांक 1 पूनम कोचर के छोटे भाई प्रकाश कोचर को पुलिस द्वारा साक्षी बनाया गया था, जिससे भी प्रार्थिया व उसके परिवार के लोग आवेदकगण से वैमनस्यता रखते चले आ रहे हैं। बालाघाट कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों की शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध अपराध की कायमी की गयी है। आवेदक क्रमांक 1 की पत्नी राजकुमारी कोचर की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 805/2020 अन्तर्गत धारा 354, 354क, 294, 506/34 भा0दं0सं0 का प्रकरण दीपक जैन तथा लवली जैन के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदकगण आदेशित शर्तों अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की है। आवेदन के समर्थन में आवेदकगण द्वारा स्वयं का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है और इस आशय का कोई अन्य जमानत आवेदन उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का मौखिक विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पीड़िता द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध करते हुए लिखित आपत्ति पेश की गयी तथा जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 09—12—2020 को आरोपीगण भव्य कोचर एवं पूनम कोचर द्वारा पीड़िता को गाली गलौच कर बुरी नीयत से छेड़छाड़ किये जाने एवं विरोध करने पर फटाखे से हमला करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में आरोपीगण भव्य कोचर एवं पूनम कोचर के विरूद्ध थाना कोतवाली बालाघाट में अपराध क्रमांक 804/2020 अन्तर्गत धारा 354क, 354ग, 354घ, 341, 294, 336, 506,34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है। अभियोजन दस्तावेजों अनुसार पीड़िता द्वारा आरोपीगण के पड़ोसी होकर उनके द्वारा पूर्व से व्यापारिक रंजिश रखे जाकर उसके साथ गाली गलौच किये जाने, आरोपी भव्य कोचर द्वारा पीड़िता का हमेशा रास्ता रोकने, पीछा किये जाकर मानसिक रूप से परेशान किये जाने, जान से मारने की धमकी दिये जाने व दिनांक 09—12—2020 को दोपहर करीब 12.00 बजे भव्य कोचर द्वारा पीड़िता के परिवार पर छत से जलता हुआ फटाका बम फेके जाने से उसके पिता का घटनास्थल पर ही बेहोश हो जाने संबंधी आक्षेप

लगाये हैं। आवेदकगण की ओर से उनका निर्दोष होकर पूर्व रंजिशवश झूंठा फंसाया जाने संबंधी तर्क किया गया है, जो कि साक्ष्य का विषय है। थाना प्रभारी के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपीगण की गिरफ्तारी शेष होने से उनकी पतासाजी जारी है। प्रकरण में विवेचना चालू है। वर्तमान स्थिति में प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, लेकिन नियमित जमानत आवेदन व अग्रिम जमानत आवेदन के मापदण्ड भिन्न–भिन्न होते हैं। अग्रिम जमानत एक विशेष प्रावधान है, जिसका लाभ केवल तभी दिया जा सकता है, जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति को मिथ्या प्रकरण में आलिप्त किया जा रहा है, परन्तु वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां ऐसी नहीं है और आवेदकगण के विरूद्ध पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र की गई है। अपराध महिला से संबंधित है तथा आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने पर उनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट को सूचनार्थ व पालनार्थ तथा एक प्रति थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट को सूचनार्थ मय केस डायरी के प्रेषित की जावे।

निष्कर्ष टीप संबंधित पंजी में दर्ज की जाकर यह जमानत पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में जमा हो।

ASHISH KUMAR SHUKLA
Digitally signed by ASHISH KUMAR SHUKLA
Date: 2021.01.02 18:36:36 +0530

(आशीष कुमार शुक्ला)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बालाघाट